अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
टोडरमल मार्ग, अजमेर
E-Mail :- ajmerada@gmail.com , adastoreajmer@gmail.com
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada
Contact : 0145-2627748
0145-2627749

क्रमांक / अविप्रा / प–6 / भण्डार / पत्रा. / 2020–21 / 690/–03 दिनांकः– 12/10/2020

ए–4 साईज स्टीकर / पोस्टर (गमिंग) छपाई करने हेतु अल्पकालीन सीमित बोली सूचना

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा ए–4 साइज के 30,000 स्टीकर / पोस्टर (गमिंग) छपाई हेतु दरें आमन्त्रित की जाती हैं जिसकी अनुमानित व्यय राशि 1,35,000 / – रूपये (अक्षरे एक लाख पेंतीस हजार रूपये मात्र होगी) (समस्त करो सहित), अतः इच्छुक संवेदक / फर्म मोहर बन्द निविदाएं दिनांक 14 / 10 / 2020 को सांय 3:00 बजे तक प्रस्तुत करें एवं इसी दिनांक को सांय 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा।

(UBN:— AJD2021SSOB00032)

आवश्यक शर्ते :–

1. अमानत राशि 1350 / – रूपये जरिये डी.डी. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम स्वीकार होगी
2. फर्म GST रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
3. शेष शर्ते sppp portal पर देखी जा सकती हैं।
4. आपूर्ति कार्यादेश जारी होने के 24 घण्टों के अन्तर्गत करनी होगी।
5. आपूर्ति से पूर्व सेम्पल प्राधिकरण कार्यालय की भण्डार शाखा में चैक कराना आवश्यक हैं।
6. स्टीकर / पोस्टर (गमिंग) का प्रारूप भण्डार शाखा से प्राप्त करना होगा।
7. स्टीकर / पोस्टरों (गमिंग) की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती हैं।
8. बिना अमानत राशि जमा के निविदाएं स्वीकार नही होगी।
9. स्टीकर / पोस्टर (गमिंग) का विवरण (ए–4 साईज के 130 gsm) हैं।
10. अन्य शर्तें ADA की website पर देखी जा सकती हैं।

(राजेन्द्र कुड़ी)
प्रभारी अधिकारी(भण्डार शाखा)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक / अविप्रा / प–6 / भण्डार / पत्रा. 37 / 2020–21 / 690/–03 दिनांकः– 12/10/2020
प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर, अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर।
2. लेखाशाखा, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. नोटिस बोर्ड, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

प्रभारी अधिकारी(भण्डार शाखा)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल मार्ग, अजमेर

E-Mail :- ajmerada@gmail.com , adastoreajmer@gmail.com
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada

Contact : 0145-2627748
0145-2627749

ए–4 साईज स्टीकर छपाई करने हेतु दर संविदा की शर्ते (वर्ष 2020–21) बोली प्रस्तुत करने वास्ते

टिप्पणी : बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी बोलीऐं भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बोली को बोली सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से भरनी चाहिये।
2. वास्तवित प्रिंटिग एजेंसी द्वारा बोलीऐं :– बोली मालों के वास्तविक प्रिंटिग एजेंसी द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगें।
3. फर्म **GST** पंजीबद्ध होनी चाहिए, प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है वहाँ पर नियमानुसार जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये। यदि पंजीयन है तो जीएसटी पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।
4. बोली प्रारूप टंकित किया जायेगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. दरे समस्त कर (जीएसटी सहित) दी जानी होगी।
6. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए।
7. मूल्य अधिमान :– मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जायेगा।
8. विधिमान्यता :– बोलीयें, उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
9. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवांन भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाडे (सबलेट) पर नहीं देगा।
10. विनिर्देश :–
    (1) प्रदाय की गयी सभी वस्तुऐं बोली में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी ।
    (2) वारंटी/गारंटी खण्ड :– बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/ सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तत्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि .... दिनों/माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्ध करने का हकदार होगा।
11. निरीक्षण :–
    (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चिय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति होगी।
    (ख) बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना

E-Mail :- ajmerada@gmail.com , adastoreajmer@gmail.com
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada
Contact : 0145-2627748
0145-2627749

होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

13. (1) सुपुर्दगी अवधि :– सफलतम बोलीदाता उप कायादेश प्रदान करने की दिनांक से उप कार्यादेश में वर्णित अवधि के भीतर उप कार्यादेश अनुसार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा :–
(2) उपापन नियम 73 के अनुसार मात्रा में परिवर्तन हो सकता है।

14. बिड सिक्यूरिटी :–
(क) बोली के साथ 1% की बोली अमानत राशि ऑनलाईन जमा करानी होगी ऑफलाईन राशि स्वीकार नही की जाएगी। इसके बिना बोली पर विचार नही किया जाएगा।
(ख) बिड सिक्यूरिटी राशि का प्रतिदाय :– असफल बोलीदाता की बोली अमानत राशि बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार करने एवम् अनुबन्ध होने व कार्य सम्पादन अमानत प्रस्तुत होने पर यथा शीघ्र लौटायी जाएगी।
(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली अमानत राशी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

15. (1) करार एवं अमानत निक्षेप :–
(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए बोली स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन अमानत जमा करानी होगी। यह अमानत प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।
(ii) बोली के समय जमा करायी गयी बोली अमानत राशि को अमानत की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन अमानत की राशि किसी भी दशा में बोली अमानत राशी से कम की नहीं होगी।
(iii) कार्य सम्पादन अमानत राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
(iv) कार्य सम्पादन अमानत राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–
(क) ई.जी.आर.ए.एस / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / एफ.डी.आर / बैंक गारण्टी
(v) कार्य सम्पादन अमानत राशी उपापन नियमों के नियम 75 के अनुसार ली जायेगी और प्रतिदाय किया जायेगा।

16. भुगतान :–
(1) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नही किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल / प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और बोलीदाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण–पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।
(2) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप मे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
टोडरमल मार्ग, अजमेर
E-Mail :- ajmerada@gmail.com , adastoreajmer@gmail.com
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada
Contact : 0145-2627748
0145-2627749

17. (1) परिसमापित नुकसानीः– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा हैः–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2½%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7½%

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

18. वसूलियांः–परिसमापित नुकसानी, फर्म प्रदाय, टूट-फूट, रदद की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलबध अमानत निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

19. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

20 संभावित करवाये जाने वाले कार्य की दरें प्रस्तुत की जाये समय समय पर मांग अनुसार अनुमोदित दरों पर कार्य करवाया जाना है। दरें 1 वर्ष के लिये मान्य होगी ।

21. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्ध करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्त्ता से अधिक को सामान की मदो को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

22. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन सख्या एवं उसका वर्ष।

(3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

23. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों को अपील आदि करने का अधिकार उपापन नियमों के अनुसार होगा।

24. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

25. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 लागू होंगे।

26. छपाई कार्य आवश्यक परिस्थितियों में 24 घण्टे की अवधि में भी करके देना होगा।
27. छपाई से पूर्व प्रुफ चैक करवाना अनिवार्य होगा। कार्य की क्वालिटी व इंक अच्छी होनी चाहिये।
28. संवेदक के पास स्वंय की छपाई मशीनें, कलर प्रिन्टर होना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर बिल की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
29. कार्य की आवश्यकता के आधार पर स्थानीय मुद्रणालय को प्राथमिकता दी जायेगी।
30. स्टीकर की साइज ए–4 होगी। स्टीकर प्रोमो शीट पर होगें व शीट 130 जीएसएम की होगी।
31. स्टीकर हेतु डिजाईन प्राधिकरण द्वारा दी जावेगी व जिसमें मुख्य रूप से प्राधिकरण का लोगो अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा जनहित में जारी, नो मास्क नो एन्ट्री लिखा जावेगा। लगभग 10 डिजाइन होगें व स्टीकर की अनुमानित संख्या 30,000 होगी। जिसको कम व ज्यादा किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर